उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–1342/ग्यारह–9(107)/07–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(166)–2016
लखनऊ::दिनांक:: 21 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2016 से, समय–समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–2757/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश–(31)–2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कम संख्या 15 पर दी गयी प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात:–

एडि0 कमि0 (Law)

कम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
16.	आन लाइन शापिंग अथवा ई–कामर्स द्वारा कय या आर्डर कर व्यवसाय के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत उपयोग के लिए राज्य के बाहर से स्थानीय क्षेत्र के भीतर परेषित या लाया गया, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची–एक में वर्णित माल से भिन्न सभी प्रकार का माल।	माल के मूल्य का पाँच प्रतिशत

550-1
21.09.2016

2435
21-9-16

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

J C (V)

A C (V)
21-9-16

276 (V)
21.9.16